एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉ.भण्डारी को नोटिस

मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एन.ओ.सी. का मामला

- सोटो के संयुक्त निदेशक रहे डॉ. मेहता को भी नोटिस जारी किया
- सोटो के माध्यम से हुए प्रत्यारोपण की मांगी पूरी जानकारी
- एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉ. अचल शर्मा से भी स्पष्टीकरण मांगा
- उच्च स्तरीय जांच समिति ने की कार्रवाई

जयपुर। मानव अंग एवं ऊत्तक प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एनओसी जारी होने के मामले में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉ. सुधीर भण्डारी, स्टेट ऑर्गन एण्ड टि्श्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन के संयुक्त निदेशक रहे डॉ. अमरजीत मेहता एवं सवाई मानसिंह अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अचल शर्मा को नोटिस जारी कर प्रत्यारोपण से जुड़ी सूचनाएं मांगी हैं।

चिकित्सा शिक्षा विभाग इस मामले को लेकर एक्शन मोड में है। अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह प्रकरण में निरंतर गहन मॉनिटरिंग कर रही है। उनके निर्देशों के बाद चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने जांच प्रक्रिया को तेज कर दिया है। सोमवार को समिति ने प्रकरण में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉ. सुधीर भण्डारी, स्टेट ऑर्गन एण्ड टि्श्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन के संयुक्त निदेशक रहे डॉ. अमरजीत मेहता एवं सवाई मानसिंह अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अचल शर्मा को नोटिस जारी किए है।

चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इकबाल खान की ओर से डॉ. सुधीर भण्डारी को नोटिस में उनके एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य पद के कार्यकाल के दौरान आयोजित राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति की बैठकों, उनमें लिए गए निर्णयों, जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्रों से संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। नोटिस में डॉ. भण्डारी से पूछा गया है कि सोटो के गठन के लिए एनओटीपी गाइडलाइन के अनुसार चैयरमेन का पद स्वीकृत नहीं है, लेकिन उनके द्वारा प्रधानाचार्य पद से हटने के बाद भी सोटो चैयरमेन के रूप में पत्राचार किया गया है। सोटो राजस्थान में उनकी भूमिका, कार्य प्रणाली, सोटो वेबसाइट के संधारण एवं मॉनिटरिंग के संबंध में पूरी जानकारी मांगी गई है।

इसी प्रकार सोटो राजस्थान के सुगम कार्य संचालन, प्लानिंग एवं नेशनल ऑर्गन टि्श्यू ट्रांसप्लांट प्रोग्राम गाइडलाइन के अनुसार गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए गठित की गई स्टीयरिंग कमेटी, उनमें नामित होने वाले सदस्यों के बारे में भी उनसे जानकारी मांगी गई है। सोटो के कार्य क्षेत्र व गाइडलाइन की पालना के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराने को कहा गया है। राज्य में किए जा रहे मानव अंग प्रत्यारोपण के डोनेशन एवं ट्रांसप्लांट की सूचना सोटो के माध्यम से नेशनल रजिस्ट्री पर साझा किया जाना अपेक्षित है। डॉ. भण्डारी से इस संबंध में सोटो के माध्यम से हुए सभी प्रकार के मानव अंग प्रत्यारोपण की सूचना दस्तावेज के साथ उपलब्ध करवाने को कहा गया है। वहीं डॉ. अमरजीत मेहता को जारी नोटिस में सभी जानकारी मय दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त 7 मई, 2022 से अब तक स्टीयरिंग कमेटी द्वारा किए गए कार्यों का विवरण भी मांगा गया है।

इसी प्रकार चिकित्सा अधीक्षक को जारी नोटिस में कहा गया है कि एसएमएस अस्पताल में नजदीकी रिश्तेदारों तथा पति-पत्नी के बीच होने वाले अंग प्रत्यारोपण की अनुमति के लिए चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में कॉम्पीटेंट अर्थॉरिटी का गठन किया गया था। समिति ने विगत एक वर्ष में इस समिति की बैठक कब-कब आयोजित की। इन बैठकों के बाद इस साल मार्च तक जारी एनओसी का विवरण भी उपलब्ध करवाने को कहा गया है। साथ ही, अधीक्षक से पूछा गया है कि मापव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत निकट रिश्तेदारों से भिन्न व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण का राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति द्वारा अनुमोदन आवाश्यक है। इन प्रत्यारोपण के लिए राज्य प्राधिकार समिति से अनुमति प्राप्त की गई अथवा नहीं। अगर अनुमति नहीं ली गई तो समिति के क्षेत्राधिकार के बाहर प्रत्यारोपण किस आधार पर हुए। चिकित्सा अधीक्षक को इन सभी बिंदुओं का जवाब तीन दिन में प्रस्तुत करना होगा।

सरकारी गेहूं खरीद को बढ़ाने के लिये कदम उठाने के निर्देश

केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव संजीव चौपड़ा की अध्यक्षता में सोमवार को एफसीआई एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

जयपुर, (का.सं.)। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चौपड़ा ने बताया कि हरियाणा में राजस्थान के बराबर ही गेहूं उत्पादन होता है, परंतु राजस्थान में सरकारी गेहूं की खरीद हरियाणा से काफी कम है। खाद्य सचिव ने इस बिंदु पर विशेष जोर देते हुए राजस्थान में सरकारी गेहूं खरीद को बढ़ाने के लिये आवश्यक कदम उठाने के लिये निर्देश जारी किये गये।

केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव संजीव चौपड़ा की अध्यक्षता में सोमवार को एफसीआई एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ राजस्थान क्षेत्र में रबी विपणन वर्ष 2024-25 के तहत की जा रही गेहूं खरीद तथा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न खाद्य योजनाओं एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में खाद्यान्न वितरण की समीक्षा बैठक की गई है। बैठक में सभी गेहूं खरीद एजेंसियों को निर्धारित खरीद लक्ष्य को पूरा करते हुए अधिकतम किसानों को लाभांवित करने पर जोर दिया गया।

खाद्य सचिव, भारत सरकार द्वारा चाकसू तहसील में राशन की दुकान का भी निरीक्षण कर खाद्यान्न वितरण व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित लाभार्थियों से संवाद भी किया। उन्होंने चाकसू में राजफेड की ओर से संचालित गेहूं खरीद केंद्र का निरीक्षण किया और राजफेड अधिकारियों को किसी भी स्थिति में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद योजना का अधिकाधिक प्रचार करने तथा सभी किसानों तक इस योजना की जानकारी पहुंचना सुनिश्चित करने के लिये निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान एफसीआई तथा राज्य सरकार के अधिकारी भी मौजूद रहे।

अनाधिकृत निजी अस्पतालों पर कसेगा शिकंजा

- प्रदेश में चिकित्सा विभाग की ओर से ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया जाएगा

जयपुर। चिकित्सा विभाग प्रदेश में अनाधिकृत रूप से संचालित निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाएगा। इसके लिए संभाग स्तर पर समस्त संयुक्त निदेशक, जोन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही, जिला स्तर पर इस ऑपरेशन के लिए कमेटी गठित की जाएगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य शुभ्रा सिंह ने बताया कि विभाग को प्रदेश में ऐसे अनाधिकृत निजी अस्पताल संचालित होने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें एक भी एलोपैथिक चिकित्सक नहीं है और मनमाने ढंग से इनका संचालन कर आमजन के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चिकित्सा विभाग ऐसे अस्पतालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाएगा। इसके लिए प्रदेशभर में ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया जाएगा।

सिंह ने बताया कि इस ऑपरेशन के लिए संभाग स्तर पर समस्त संयुक्त निदेशक जोन को नोडल अधिकारी बनाया गया है। साथ ही, अनाधिकृत रूप से संचालित ऐसे अस्पतालों के निरीक्षण के लिए जिला स्तर पर कमेटियों का गठन किया जा रहा है। इस कमेटी में संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला औषधि अधिकारी शामिल होंगे।

जनस्वास्थ्य निदेशक डॉ. रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि यह कमेटी संबंधित जिले में अनाधिकृत रूप से संचालित निजी अस्पतालों का निरीक्षण करेगी। अगर कोई अस्पताल बिना एलोपैथिक चिकित्सक के चलते पाया जाता है या वहां अन्य नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उनके विरूद्ध आईपीसी एवं आईएमए की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। कमेटी हर माह इस संबंध में संबंधित संयुक्त निदेशक को रिपोर्ट भेजेगी। संयुक्त निदेशक जोन हर माह की 5 तारीख तक यह सूचना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय को भिजवाएंगे।

वरिष्ठ चिकित्सक व एन.एन.एम. निलंबित

- नैनवां में अस्पताल के बाहर बैंच पर प्रसव का मामला
- पीएमओ को हटाया, अन्य नर्सिंग स्टाफ को 17 सीसीए के तहत नोटिस
- अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए जिला कलेक्टर से पूरे प्रकरण की जानकारी ली
- एसडीएम व जांच कमेटी की रिपोर्ट पर एक्शन लिया

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बूंदी जिले के नैनवां उपजिला चिकित्सालय में एक महिला का बैंच पर प्रसव होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई की है। प्रकरण में एक वरिष्ठ चिकित्सक एवं एक एएनएम को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। वहीं पीएमओ नैनवां को पद से हटा दिया गया है। एक चिकित्सक के विरूद्ध 16 सीसीए के तहत विभागीय जांच प्रस्तावित की गई है। अन्य कार्मिकों को 17 सीसीए के तहत नोटिस दिए गए हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभाव से कोटा जोन के संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बूंदी को शामिल कर एक जांच कमेटी गठित की थी। साथ ही, जिला कलेक्टर बूंदी से प्रकरण की जानकारी ली और नैनवा उपखण्ड अधिकारी से भी रिपोर्ट मांगी गई। जिला कलेक्टर से मिली जानकारी, जांच कमेटी एवं उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों पर विभाग ने सख्त एक्शन लिया है।

निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि प्रकरण में ड्यूटी पर उपस्थित वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉ. मुरारीलाल मीणा एवं एएनएम कुसुमलता शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय निदेशालय, जयपुर किया गया है। साथ ही पर्यवेक्षणीय लापरवाही का दोषी मानते हुए पीएमओ नैनवां डॉ. समुन्दर लाल मीणा को हटाकर उनके स्थान पर वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉ. कृष्ण कुमार को उनका चार्ज दिया गया है।

डॉ. माथुर ने बताया कि प्रकरण में अन्य नर्सिंग स्टाफ गायत्री मीणा, केला देवी मीणा, शिवदत्त, कौशल्या गुर्जर एवं हेमन्त महावर को सीसीए नियम 17 के तहत नोटिस दिए गए हैं।

जयपुर की जमीन से जुड़े सौदे को लेकर याचिका खारिज

जयपुर, (का.सं.)। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर की जमीन से जुड़े सौदे के खिलाफ पासीघाट थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही माना है। इसके साथ ही अदालत ने माना कि हाईकोर्ट के आदेश को परिवादी ने चुनौती नहीं दी है और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर ही इसे चुनौती दी, जबकि मामला आपसी लेन-देन से संबंधित था। जस्टिस विक्रम नाथ व जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह आदेश अरुणाचल प्रदेश सरकार की एसएलपी को खारिज करते हुए दिए।

प्रकरण से जुडे अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने बताया कि परिवादी अनिल अग्रवाल ने वर्ष 2017 में पासीघाट थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि मैसर्स शिव भंडार ने जयपुर के सीकर हाउस में एक प्लॉट खरीदने के लिए जयपुर निवासी चन्द्रमोहन बडाया को 75 लाख रुपए और शशि नाटाणी को 25 लाख रुपए का भुगतान किया था। इसके बावजूद भी प्लॉट का बेचान नहीं किया गया और राशि हडप ली। चन्द्रमोहन बडाया ने एफआईआर को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती देकर कहा गया कि उसकी फर्म ने 37 लाख रुपए शिव भंडार को लौटा दिए थे और 54-54 लाख रुपए के दो प्लॉट परिवादी की पत्नी व भाभी को बेचे थे, लेकिन इसका पूरा भुगतान भी उसे नहीं मिला। जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। हाईकोर्ट की ओर से बडाया की याचिका खारिज करने पर उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। वहीं दूसरी ओर प्रकरण के अन्य आरोपियों ने एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने मई, 2023 में एफआईआर को गैर इलाका व अरुणाचल प्रदेश में अपराध कारित होना नहीं मानकर निरस्त कर दिया। इस आदेश के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश की।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य कुणाल उपाध्याय पुत्र श्री राजीव उपाध्याय, निवासी बी-38, प्रभु मार्ग, तिलक नगर, जयपुर के स्वामित्व व मालिकाना हक का अविभाजित मकान, जो कि नगर निगम, जयपुर द्वारा दिनांक 30.08.2023 को आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर मेरे अभिभाष्य के हक में नाम हस्तान्तरण कर दिया है। सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य की स्वतंत्र सहमति के बिना कोई भी तकासमा बंटवारा शून्य व निष्प्रभावी होगा तथा उपरोक्त वर्णित भूमि के बाबत जो भी करार, संविदा किसी दीगर व्यक्ति से किया गया है तो वह भी मेरे अभिभाष्य की स्वतंत्र व लिखित सहमति के अभाव में शून्य व निष्प्रभावी हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि पर मेरे अभिभाष्य के समस्त अधिकार यथावत बने हुए हैं जिसे उसने कतई हस्तान्तरित नहीं किया है। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि के बाबत कोई भी व्यक्ति मेरे अभिभाष्य की सहमति के बिना कोई कार्यवाही अमल में ना लावे और ना ही किसी भी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति से कोई भी लेनदेन, संविदा, संव्यवहार, इकरार, विक्रय, ऋणभार, बंधक आदि ना करें और करावे, अन्यथा उसके लिए वे व्यक्ति/संस्था स्वयं जिम्मेदार होंगे और उनके विरूद्ध फौजदारी व सिविल कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
दिनांक-22.04.2024 (प्रमोद गौतम) एडवोकेट मोबाइल नं. 9672977465

नाम परिवर्तन

मैंने मेरा नाम जगदीश प्रसाद शर्मा से बदलकर जगदीश प्रसाद तिवारी रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। जगदीश प्रसाद तिवारी 10/94 स्वर्ण पथ मानसरोवर, जयपुर।

मैंने अपनी पुत्री का नाम राज श्री से बदलकर राजश्री विश्नोई पुत्री चन्दर प्रकाश रख लिया है। भविष्य में इसे इसी नाम से जाना जावे निवासी 205, सीटी स्टार अपाटमेंट, सेन्ट्रल स्पाईन, वार्ड नं. 5, विद्याधर नगर, जयपुर

मेरे पासपोर्ट एवं ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथी 04.08.1978 है एवं आधार में मेरी जन्मतिथी भूलवश 25.08.1978 दर्ज हो गई है मेरी जन्मतिथी 04.08.1978 सही है। प्रकाश सबनानी (आधार संख्या 292471104332) निवासी 11 जगदम्बा नगर, जयसिंहपुरा खोर जयसिंहपुरा शेखावतान, जयपुर, राज.

मैंने अपना नाम किरण कुमारी प्रधान से बदलकर विवाह पश्चात किरण शर्मा पत्नी गोपाल लाल शर्मा रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। निवासी-26, शर्मा भवन, 9 दुकान, नेहरू नगर, जयपुर

मैं मंजू शेखावत पत्नी श्री राकेश सिंह शेखावत निवासी मकान नं. 85 मां करणी नगर-ए, करणी पैलेस वैशाली नगर के पास, पांच्यावाला, जयपुर घोषणा करती हूँ कि मैंने अपना नाम मंजू से बदलकर मंजू शेखावत रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें।

I have Changed my name from Pushpa Devi Soni to Pushapa Soni r/o A-85 flat no. 116 dadu Dayal Nagar iskcon road Mansarovar Jaipur.

I have Changed my name from Kedar Lal Gupta to Kedar Gupta r/o 219-A, Barkat Nagar, Jaiur.

I have Changed my Name from Seema Rani Gupta to Seema Rani r/o 219-A, Barkat Nagar, Jaipur

I mohini Devi rawat legally wedded spouse of service no 142657-Y rank petty officer (UWI) late sh. Madan Singh Rawat R/O plot no 81 Ganesh Nagar vistar behind kardhani jda scheme jhotwara Jaipur have changed my name From MOHINI DEVI RAWAT is wrong entered in service record as To MOHANI DEVI vide affidavit dated 20 apr 2024 before district notary Jaipur

तीये की बैठक

हमारे पूजनीय **श्री कैलाश चंद टांक** पुत्र स्व. राधेलालजी कचोट का स्वर्गवास 21/04/2024 को हो गया है। जिसकी तीये की बैठक मंगलवार 23/04/2024 को सांय 5-6 बजे पताशेवालों की बग़ीची, मोतीडूंगरी रोड, दादाबाडी जैन मंदिर के सामने होगी।
शोकाकुल- भँवरजी, प्रेमजी, राजकुमारजी, मुकेशजी (भाई), मोहनलाल (पुत्र), सचिन, संदीप, अनिल (भतीजे), नरेश (पौत्र) एवं समस्त कचोट परिवार - 9314008111

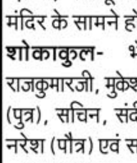

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी **श्री सूरज भान बौहरा (शर्मा)** (से.नि. रीडर जिला एवं सैशन न्यायालय जयपुर) का स्वर्गवास दिनांक 21.04.2024 को हो गया है। तीये की बैठक मंगलवार दिनांक 23.04.2024 को सांयकाल 4:00 बजे से 5:00 बजे तक जेडीए सामुदायिक केन्द्र, गोल सर्किल के पास, जनता कॉलोनी, जयपुर में होगी।
शोकाकुल- अश्विनी कुमार शर्मा (एडवोकेट), गोविन्द, अवधेश कुमार, हरिऔम, अम्बिकेश (पुत्र), प्रेम प्रकाश, पुखराज, रामबाबू, गिरधर, मनोज (भतीजे), आलोक शर्मा (एडवोकेट), अभिषेक, राहुल, तनिष, प्रखर (पौत्र) एवं समस्त बौहरा परिवार राहुवास जिला दौसा
मो.नं.- 9829077092, 9782711505

पक्षियों के लिए परिंडे व चुग्गा पात्र स्वेच्छा से लगाने की अपील

जयपुर (का.सं.)। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा ने बताया कि विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जैवविविधता संरक्षण के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करना है।

शासन सचिव ने बताया कि जलदाय विभाग का मूल उद्देश्य आमजन को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक पेयजल उपलब्ध करवाना है। राज्य की पेयजल नीति 2010 के अनुसार भी जल प्रबंधन में मानव व पशुधन पेयजल मांग को क्रमशः प्राथमिकता 1 व 2 दी गई है। धार्मिक आधार पर भी मानव व पशुधन के लिए पेयजल व्यवस्था करना अत्यंत पुण्य का कार्य माना गया है।

डॉ शर्मा ने बताया कि गर्मियों में पक्षियों को पीने का पानी व चुग्गे की कमी होने के कारण इनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार पशुधन को भी पानी की व्यवस्था के अभाव में भटकना पड़ता है। विभागीय स्त्रोतों/ हैडवर्क्स के पास ओवरफ्लो/ लीकेज आदि से पानी बेकार होता है, इसे भी खेली से जोड़कर इसका समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। अतः पक्षियों एवं जीव जन्तुओं के जीवन को बचाने के उद्देश्य से विभाग के समस्त कार्यालयों, पम्प हाउस, हैड वर्क्स आदि पर कार्मिकों, भामाशाह, गैर-सरकारी संगठन, आमजन आदि के सहयोग व सहभागिता से सुगम स्थानों पर वृक्षों पर परिंडे स्वेच्छा से लगवाये।

चुनाव कार्य में जुटे कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्रों की सुविधा

जयपुर, (का.सं.)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 की ड्यूटी में लगे कार्मिकों, पुलिस अधिकारियों आदि द्वारा सभी जिलों में बने फेसिलिटेशन सेंटर्स पर अब तक 2,05,443 मत डाले गए। प्रदेश में अब तक 82,380 पुलिसकर्मी, 12141 आरएसी, 945 जीआरपी, 1,022 प्राइवेट (ड्राइवर्स) और 1,08,955 अन्य मतदान कार्मिकों द्वारा मताधिकार का उपयोग किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के द्वितीय चरण में 25 अप्रैल तक विभिन्न दिवसों पर मतदान किया जा सकेगा।

आम सूचना मेरे अभिभाष्यगण श्री अनिल कुमार माथुर एवं श्रीमती मधु माथुर निवासी 72/8 प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर का पुत्र एवं पुत्रवधू शिवा माथुर व प्रतिष्ठा श्रीवास्तव उनके कहने-सुनने में नहीं है, जो कोई भी व्यक्ति इनसे किसी भी प्रकार का कोई संव्यवहार करेगा वह स्वयं उसके लिये जिम्मेदार होगा। उक्त शिवा एवं प्रतिष्ठा को मेरे अभिभाष्यगण की चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल किया जा रहा है।
जयपुर (राकेश तिवाड़ी) एडवोकेट
दिनांक-22.04.2024 मो. 9829355592

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे द्वारा एक ऑफिस नम्बर 309, अनुकम्पा मैंशन फेज-द्वितीय सब्जी मण्डी के पीछे, अजमेरी गेट, जयपुर ऐरिया 696.92 वर्गफीट को सुशील गोयल पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गोयल निवासी ई-181-ए, रमेश मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर से खरीद करना तय किया है यदि सुशील गोयल के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान या अन्य किसी व्यक्ति/संस्था या जनसाधारण को कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन से सात दिन में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित आपत्ति मय साक्ष्य प्रस्तुत करें। बाद गुजरने मियाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
शेखर विजयवर्गीय पुत्र श्री गोपाल लाल विजयवर्गीय निवासी 49/49-ए, लक्ष्मी नगर, टोंक रोड, सीताबाड़ी के पास, सांगानेर, जयपुर, मोबाईल नंबर-9983324848

कार्यालय उपायुक्त (विद्याधर जोन) नगर निगम ग्रेटर जयपुर
(अम्बाबाडी सर्किल, अम्बाबाडी जयपुर)
क्रमांक-एफ55( )वि.जोन/ज.न.नि./2024/27 दिनांक-15.04.2024
सार्वजनिक सूचना भूखंड सं. 89 रघुनाथपुरी, झोटवाड़ा (शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति) जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्री गोपाल लाल भट्ट पुत्र श्री हरी नारायण भट्ट को क्षेत्रफल 316.16 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। प्रकरण में मूल आवंटी एवं उनकी पत्नी की मृत्यु उपरान्त आवेदक श्री देवी शंकर शर्मा पुत्र स्व. श्री गोपाल लाल भट्ट ने जरिये रजि. हक्त्याग द्वारा क्षेत्रफल 316.16 वर्गगज भूखंड का नाम हस्तान्तरण अपने पक्ष में चाहा गया है। उक्त भूखंड के नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 07 कार्यदिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही संपादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त, विद्याधर जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 119/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री प्रहलाद बांगड़ा पुत्र श्री सूरज मल निवासी केरिया का बास बगरू रवां जिला जयपुर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत रूकमणी गौक्रान्ति ट्रस्ट प्रयास पता प्लाट नं. 73 केरिया का बास, वार्ड संख्या 01 (जे.डी.ए. केसर विहार कॉलोनी) बगरू जिला जयपुर-303007 ने राजस्थान सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 20.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 24.05.2024
मोहर अदालत
आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

खोया पाया

मूल प्रति पट्टा विलेख भूखण्ड संख्या 60 व 60-बी, केशव नगर, हवासड़क जयपुर (पट्टाधारी श्री रमाकांत पालीवाल पुत्र श्री कालूराम) व भूमि संबंधी अन्य दस्तावेज और मूलप्रति जमाबंदी खसरा नं. 3 व 4 गाँव तालकटोरा, तहसील जयपुर पटवार नाहरगढ़, जिला जयपुर (भूमिधारक श्री रमाकांत पालीवाल पुत्र श्री कालूराम) व भूमि संबंधी अन्य दस्तावेज उपरोक्त मूल दस्तावेज जो पॉलिथीन बैग में थे मुझसे कहीं गुम हो गये है। कृपया मिलने पर सूचित करें यशोदा पालीवाल पत्नी स्व. श्री रमाकांत पालीवाल निवासी 539/ए पालीवालों की बगीची, खुर्रा ब्रह्मपुरी, गणगौरी बाजार, जयपुर-8094452358

आवास संख्या 42/49/9 मानसरोवर जयपुर का आवंटन पत्र व कब्जा पत्र, इकरारनामा, वसीयतनामा, मुख्त्यारनामा, नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र व कनवेन्स डीड व परिपिच्युअल लीज डीड गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। सुमन-9001195249

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 12/24
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थीगण-
(1) श्रीमति शालिनी माथुर पत्नी स्वर्गीय श्री दीपक माथुर, आयु 42 वर्ष (2) कु. जीविशा माथुर पुत्री स्वर्गीय श्री दीपक माथुर आयु-13 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्री शालिनी माथुर (3) कु. चारवि माथुर पुत्री स्वर्गीय श्री दीपक माथुर आयु-13 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्री शालिनी माथुर (4) मा. दिवित माथुर पुत्र स्वर्गीय श्री दीपक माथुर आयु-7 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्री शालिनी माथुर निवासीगण फ्लेट नम्बर-ए-501, वी.टी. अपार्टमेंट, मानसरोवर, जयपुर। विवाद स्थान- फ्लेट नम्बर ए-501, वी.टी. अपार्टमेंट, मानसरोवर, जयपुर
मृतक दीपक माथुर की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 25.07.2024
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम दीपक माथुर पुत्र श्री ओम प्रकाश माथुर निवासी फ्लेट नम्बर ए-501, वी.टी. अपार्टमेंट मानसरोवर, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 25 माह 07 सन् 2024 10.00 ए.एम. को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 08 माह 04 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
मोहर अदालत
आज्ञा से-शरिस्तेदार
अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश संख्या-10, जयपुर महानगर प्रथम न्यायालय सांगानेर

दूसरे चरण की तीन सीटों के परिणाम पर है देश की नजरें

- बाड़मेर, जालौर-सिरोही और कोटा बनी सबसे हॉट सीटें
- इन सीटों से गहलोत, बिड़ला और हरीश चौधरी का राजनीतिक भविष्य टिका है

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान में दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, लेकिन यदि लोगों की नजरे कहीं टिकी है तो वह सिर्फ तीन सीटें हैं, जिन्हें लेकर लोगों में जबरदस्त उत्सुकता नजर आ रही है और न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरा देश इन तीनों सीटों के परिणामों पर नज़रें टिकाए हुए हैं।

राजस्थान की जिन तीन सीटों को सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, उनमें नंबर वन पर बाड़मेर-जैसलमेर लोकसभा सीट है। यहां पर कांग्रेस के उम्मेदाराम बेनीवाल, भाजपा के कैलाश चौधरी जो केंद्रीय मंत्री है और निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष है। दरअसल उम्मेदाराम बेनीवाल आरएलपी के नेता थे और दो बार बायतु से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी से नजदीकी मुकाबले में चुनाव हार गए थे। इस बार हरीश चौधरी ने ही उम्मेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस में शामिल करवाया और साथ ही लोकसभा का उम्मीदवार भी बना दिया। वहीं शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने लोकसभा में भी निर्दलीय के तौर पर खम ठोक दिया। इसी के केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को एक बार फिर भाजपा ने मौका दिया है। यहां भीड़ का मामला देखा जाए तो उम्मेदाराम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के खेमे में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। भाटी जहां अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा कर चुकें ं और अब अभिनेता इस मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं उम्मेदाराम बेनीवाल के साथ में हरीश चौधरी के अलावा हेमाराम चौधरी कंधे से कंधा लगाकर दम लगाए हुए हैं। यहां सारा दारोमदार इस बात पर टिका है कि जाट वोट कहां जाएंगे और मुस्लिम, मेघवाल का साथ किसे मिलेगा। यही सब कुछ चुनाव परिणाम को तय करेगा। ऐसे में इस सीट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है।

दूसरी हॉट सीट जालौर-सिरोही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत कांग्रेस के उम्मीदवार है। भाजपा ने सांसद देवजी पटेल का टिकट काटकर साधारण कार्यकर्ता लुंबाराम को मैदान में उतारा है। इस सीट पर कांग्रेस के लिए जहां प्रियंका गांधी जनसभा करके गई है, वहीं भाजपा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला। इस सीट पर सब की नजर इसलिए है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे पिछला चुनाव जोधपुर से हारे थे और इस बार जालौर- सिरोही से मैदान में उतरे हैं। ऐसे में ना सिर्फ वैभव गहलोत का बल्कि खुद अशोक गहलोत का भविष्य भी इस सीट पर दाव पर लगा है। यहां बिश्नोई, देवासी, माली, पटेल और राजपूत वोट सर्वाधिक है और इनमें जो ज्यादा सैंध लगाएगा, बाजी उस ओर मुड़ जाएगी।

तीसरी हॉट सीट कोटा बन गई है, क्योंकि भाजपा की ओर से जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार तीसरी बार मैदान में है। वही कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में भाजपा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल मैदान में उतरे हैं। एक तो यहां चर्चा यह है कि लोकसभा के कोई भी अध्यक्ष चुनाव जीतकर फिर लोकसभा नहीं जाते हैं। दूसरा यहां का गुर्जर मतदाता, जिनकी संख्या पौने दो लाख के आसपास है, हमेशा भाजपा के साथ रहा है, लेकिन प्रहलाद गुंजल के मैदान में आने के बाद एक मुश्त कांग्रेस के पक्ष में खड़ा हो गया है। वही एसटी, एससी का परंपरागत मतदाता हमेशा की तरह ही कांग्रेस के साथ है और मुस्लिम वोटरों का साथ भी गुंजल को मिलता दिख रहा है। ऐसे में अब मूल ओबीसी के मतदाता जिनकी संख्या 3 लाख के आसपास है, ओम बिरला को उन्हीं वोटो का सर्वाधिक सहारा है, वहीं वैश्य और ब्राह्मण मतदाता भी बिरला के पक्ष में नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहां मुकाबला बहुत नजदीकी बन चुका है और किसी भी पक्ष की एक जाति का मतदाता अगर बट गया, तो परिणाम दूसरे के पक्ष में चला जाएगा।

कुल मिलाकर दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीटों में से इन तीनों सीटों का परिणाम न सिर्फ तीन लोगों का राजनीतिक भविष्य तय करेगा, बल्कि बाड़मेर और जालौर का परिणाम जहां मारवाड़ की राजनीति के लिए बेहद अहम होगा। वही कोटा का परिणाम हाड़ौती की राजनीति में नई इबारत लिख सकता है।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।